

इसे वेबसाईट www.govtpress.mp.gov.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 285]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 15 अक्टूबर 2025—आश्विन 23, शक 1947

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2025

क्र. एफ- 35-61-2005-दो-सी-1.—चूंकि, राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने को प्रतिषेध किया जाए.

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा दर्शाई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने को, इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए प्रतिषेध करती है.

अनुसूची

ऊर्जा विभाग के अधीनस्थ सभी छः विद्युत कंपनी यथा एम. पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, म. प्र. पूर्व / मध्य / पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर / भोपाल / इन्दौर एवं म. प्र. पावर ट्रांसमिशन / जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, जबलपुर में बाह्य सेवा प्रदाता के माध्यम से नियोजित कार्मिकों के साथ-साथ दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत सतर्कता रखते हुए नियमित एवं संविदा विद्युत कार्मिकों की सेवायें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बुद्धेश कुमार वैद्य, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 15 अक्टूबर 2025

क्र. एफ- 35-61-2005-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 15 अक्टूबर 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बुद्धेश कुमार वैद्य, उपसचिव.

Bhopal, the 15th October 2025

F. No. 35-61-2005-II-C-1.—Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the Schedule below;

Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashvak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhiniyam, 1979 (No. 10 of 1979) the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential services specified in the schedule with effect from 15th October, 2025 for a period of three months.

SCHEDULE

The Services of regular, contract and outsourced workers of all six power companies namely M. P. Power Management Company Limited Jabalpur, Madhya Pradesh. Poorv / Madhya / Paschim Kshetra Vidyut Vitaran Company Limited Jabalpur / Bhopal / Indore and M. P. Power Transmission / Generating Company Limited Jabalpur and the need for vigilance during the Diwali festival Under Energy Department Govt. MP.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
BUDDHESH KUMAR VAIDYA, Dy. Secy.